

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94

जयपुर, दिनांक :- 26-06-2019

—: संशोधित परिपत्र :-


विषय:—समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हुए हैं।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 के बिन्दु संख्यां 09 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

09—“ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 5(4) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञात होगा”।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101900862 दिनांक 27.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।


  
(रोली सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।

7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

  
उप शासन सचिव

22/2019